

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 279/04

संस्थापन दिनांक:-13/05/14

फाईलिंग नं. 233504002082014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

जुध्या पिता केशो बसदेवा
उम्र 40 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.04.2014 को समय 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी फरियादी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सरस्वतीबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2014 को फरियादी के लड़के एवं अभियुक्त के लड़के का झगड़ा हुआ था। उक्त बात पर से अभियुक्त जुध्या ने दिनांक 12.04.2014 को फरियादी व उसके लड़के के साथ मारपीट किया था। दिनांक 13.04.2014 को रात करीब 11 बजे अभियुक्त फरियादी के घर पर आया और मादरचोद, छिनाल की बुरी बुरी गालियां देकर उसके घर के अंदर घुसकर उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया तथा उसके लड़के राज को पत्थर से मारा जिससे राज के दाहिने पैर के टकने के जोड़ के उपर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 284/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323(दो बार), 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 452 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.04.2014 को समय 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी फरियादी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सरस्वतीबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ? ”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 सरस्वती (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर के अंदर सो रही थी, उसके बच्चे भी सो रहे थे तभी अभियुक्त आया और उसके उपर झूम गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त रात में उसके घर के अंदर आया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके एवं अभियुक्त जुध्या के लड़कों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना के दिन अभियुक्त से उसका बच्चे को लेकर ही विवाद हुआ था परंतु साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर झूमा झटकी की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने केवल अभियुक्त की गाली गलौच के संबंध में शिकायत की थी और घर में घुसने वाली बात नहीं बतायी थी।

7 प्रकरण में फरियादी सरस्वती (अ.सा.-1) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त का उसके साथ विवाद हुआ था परंतु साक्षी अपने परीक्षण में इस तथ्य पर स्थिर नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त उसके घर के अंदर घुसा था। साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन भी नहीं किये हैं। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर

अभियुक्त ने ग्राम रानीडोंगरी स्थित फरियादी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सरस्वतीबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरूद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। निष्कर्षतः अभियुक्त जुध्या को धारा 452 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)